जगदीश बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	[illegible] [illegible] 55/2019
12.03.2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 350/भू.अ./2020 दिनांक 14.02.2020 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा दिनांक 04.02.2020 को प्रस्तुत प्रतिवादी न. 4 के कायम मुकामान प्रार्थना पत्र पर वकील प्रतिवादी ने No Objection होना जाहिर किया। वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति के आधार पर वकील वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र कायम मुकामी प्रतिवादी न. 4 स्वीकार किया जाता है। वकील वादीगण ने संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमत होने बाबत अवगत कराते हुए प्राप्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में आज ही अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्राप्त विधिक विभाजन अनुसार वादपत्र को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के बंटवारा के होने से अपनी सहमत्ति प्रकट की। वकील वादीगण के निवेदन एंव वकील प्रतिवादी की सहमति के आधार पर तहसीलदार (भू0अ0) श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 06.09.2019 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना रिपोर्ट तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 350/भू.अ./2020 दिनांक 14.02.2020 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। जिससे वकुलाय उभय पक्षकारान् सहमत है।
[illegible]	अतः वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र वकील प्रतिवादी की सहमति के आधार पर स्वीकार

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

जगदीश बनाम पुनाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
दान	मु.नं.-55/2019	

किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 350/भू.अ./2020 दिनांक 14.02.2020 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को डिक्री का भाग बनाया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी भॉति प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.04.02 13:24:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: